न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 01/2024

1. सूर्य प्रकाश पुत्र श्री आशाराम जाति नाई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. विमला पत्नि गोकल जाति नाई निवासी चक 15–16 के.डब्लयु. डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्रताप पुत्र बुधराम जाति नाई निवासी चक 15–16 के . डब्लयु. डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थित:– श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2

निर्णय दिनांक:–19.12.2025

अपीलांट सूर्य प्रकाश पुत्र श्री आशाराम जाति नाई निवासी रावतसर तहसील रावतसर द्वारा विरूद्व नामान्तरण आदेश संख्या 288 दिनांक 27.10.2013 रोही मौजा चक 28 डी. डब्ल्यु.डी. तहसील रावतसर को अपास्त करवाने बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है:–

1. रोही मौजा चक 29 डी.डब्ल्यु. डी. तहसील रावतसर के चक 28 डी.डब्ल्यु.डी. तहसील रावतसर के खाता सं. 41/37 के प.न. 143/422 मु. नं. 1 के किला नं. 15/1 की 0.0350 हैक्टर भूमि, किला नं. 16/2 की 0.1960 हैक्टर भूमि किला नं. 16/3 की 0.0250 हैक्टर भूमि एवं 17 व 18 की 0.5060 हैक्टर भूमि, किला नं. 23/2 की 0.2210 हैक्टर भूमि, 24/2 की 0.2210 है[illegible] किला नं. 25/2 की 0.1650 हैक्टर, किला नं. 25/3 की 0.0250 [illegible] 3.3940 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के पड़दादा बुधराम पुत्र [illegible] कृषि भूमि चक 10 [illegible]डी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की भूमि वर्ष [illegible]980 में विक्रय करके [illegible] पुत्र रामप्रताप के नाम से तहसील रावतसर की कृषि भूमि खरीद की थी, जिसके कारण उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. रामप्रताप पुत्र बुधराम जाति नाई साकिन चक 15–16 के. डब्ल्यु. डी. तहसील रावतसर के दो पुत्रगण, आशाराम व गोकुल एवं एक पुत्री सन्तोष है एवं आशाराम के एक पुत्र सूर्यप्रकाश एवं एक पुत्री चन्द्रकला है एवं अपील में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति को विक्रय कर उसकी आय से खरीद की गई है, जिसके कारण उक्त भूमि में अपीलान्ट का जन्म हक व हिस्सा है तथा वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का जन्म से हक व हिस्सा है, तथा अपीलान्ट का कृषि भूमि पर हक व हिस्सा अनुसार काबिज चले आ रहे है।

3. चक 28 डी.डब्ल्यु. डी. तहसील रावतसर के खाता सं. 41/37 की कुल 1.3940 हैक्टर कृषि भूमि में संयुक्त हिन्दु परिवार की पैदाकर्ता सम्पति है क्योंकि स्वर्गीय बुधराम पुत्र रतिराम ने अपनी पैतृक कृषि भूमि चक 10एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि वर्ष 1980 में बैचान कर अपने पुत्र रामप्रताप के नाम दर्ज करवा दी थी तथा अपीलान्ट ने अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट पेश कर रखा था। अपीलान्ट ने अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने एवं अपने हक व हिस्सा का सुरक्षित रखने हेतु माननीय रावतसर में दावा एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र कर रखा है।

4. अपीलान्ट के पुत्रगण रूपेश एवं जतिन ने भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में वाद पेश कर रखा है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है तथा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर तहसील रावतसर रावतसर स्थगन आदेश जारी है।

5. रेस्पोडेन्टस सं. 2 द्वारा जान बुझकर अपीलान्ट हक व हिस्सा खत्म करने के उददेश्य से दिनांक 26.09.2023 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में दान पत्र तहरीर करवा दिया, एंव रेस्पोडेन्टस सं. 2 द्वारा अपीलान्ट का हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का दुर्भावना पूर्ण अकेले के पक्ष में दान पत्र करवाया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कृत्य अपीलान्ट को हानि पंहुचाने के उद्देश्य से कारित किया है एवं जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट के जैरकार थे एवं दान प[illegible]ार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण सं. 288 दिनांक 27.10.2023 स्वीकृत [illegible] एवं पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार का विवाद एवं स्थगन होना नामान्तरण पर अंकित किया गया। ग्राम सभा की मिटिंग नही हुई अंकित कर दिया जबकि उपरोक्त कृषि भूमि विवादित थी एवं दान पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा कतई गलत तौर से नामान्तरण दर्ज करवा लिया इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. अपीलाधीन नामान्तरण का तथा दान पत्र को पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था तथा अपीलान्ट को जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टस स. 2 की जगह रेस्पोडेन्ट सं. 1 का जमाबन्दी हाल में नाम दर्ज होना पाया तो पटवारी हल्का से मिला तब उक्त दान पत्र का अपीलान्ट को पता चला एवं जिससे अगले दिन दिनांक 03.01.2024 को नामान्तरण की प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है तथा द्वितीय देरी में क्षमा करने कारण रिटोरियस है तथा उक्त भूमि का नामान्तरण विधि की अवहेलना में पारित किया गया है तथा उक् केस इस बिन्दु पर खारिज योग्य नही है चुंकि विधि द्वारा सुस्थापित है। किसी शुन्य आदेश को चुनौति देने के लिए परिसीमा अवधि कतई आड़े नही आती है। इसलिए प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सदभाविक मानते हुए क्षमा किया जाना न्यायोचित है, फिर भी दफा 5 मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश संख्या 288 दिनांक 27.10.2013 रोही मौजा चक 28 डी.डब्ल्यु. डी. तहसील रावतसर निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से मूल नामान्तरण की प्रति तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रोही मौजा चक 29 डी.डब्ल्यु. डी. तहसील रावतसर के चक 28 डी.डब्ल्यु.डी. तहसील रावतसर के खाता सं. 41/37 की कुल 1.3940 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के पड़दादा बुधराम पुत्र रतिराम ने अपनी पैतृक कृषि भूमि चक 10 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर में विक्रय करके अपने पुत्र रामप्रताप के नाम से तहसील रावतसर की कृषि भूमि खरीद की थी। इस खरीदशुदा भूमि को विमला पत्नी गोकुल के पक्ष में दान पात्र किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में इस विवादित भूमि बाबत वाद दायर किया गया एंव स्थागन आदेश जारी किया गया। पैतृक संपति को बेच कर उक्त विवादित भूमि खरीद [illegible] जायेगी। सिविल न्यायालय रावतसर में वाद जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के पक्ष सिविल न्यायालय, रावतसर एंव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में वाद जैरकार होनें के दौरान ही दानपात्र का नामान्तरण स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

किया गया, जो कि गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की जावे। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. [Citation: 2025(1) DNJ (Rev.) 369

2. 2022(2) RRT 1426

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के पक्ष में किया गया दानपात्र आज भी वैध है। जब दानपात्र वैध है तो दानपात्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है। खरीदशुदा भूमि का दानपात्र पुत्रवधू के नाम दान पात्र किया गया है, जो कानूनी रूप से सही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में जैरकार स्थगन प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.05.2024 को विवादित भूमि को खरीदशुदा मानकर खारिज कर दिया गया है। दानपात्र के आधार पर तस्दीक नामान्तरण संख्या 288 दिनांक 27.10.2023 सही है। अतः अपील अपीलांट निराधार है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा रिकार्ड का अवलोकन किया गया एंव न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 288 दिनांक 27.10.2023 को अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार रावतसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand की जाती है कि विवादित भूमि की जांच पड़ताल कर, समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का नियमानुसार निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 9/12/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested